


पं०
23111/24

"प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब	प्रतिवादी
इंतकान उपखण्ड मुख्यालय	ना म	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी
राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकॉर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत		
वाद-पत्र नम्बर	170 / 2021	GCMS No. 2021 / 869
तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
23111/24	<p>वादी श्री <u>इंतकान</u> पुत्र <u>इंतकान</u> जाति <u>गुजर</u> निवासी <u>पामडी</u> द्वारा आज "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत <u>2074, 77</u> में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत <u>2074-77</u> ग्राम <u>पामडी</u> पटवार मण्डल <u>गण्डावप</u> के खाता नम्बर <u>11</u> मे वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि <u>इंतकान उपखण्ड मुख्यालय</u> दर्ज है, जो अशुद्ध है। वादी का शुद्ध नाम <u>इंतकान उपखण्ड मुख्यालय</u> है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. <u>608380960188</u> आधार नम्बर <u>7535 0732 0647</u> मतदाता पहचान पत्र <u>W.CY/1235VS2</u> अन्य दस्तावेज - की छाया प्रति प्रस्तुत की है। इस संबंध में हल्का पटवारी <u>मन्वावप</u> भू.अ.नि <u>मन्वावप</u> एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की है। अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	
		737-739
		
		उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)